प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 08.05.2025

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा लूट/छिनैती/चोरी की घटना को कारित करने वाले 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की मोटर साईकिल, एक मोबाईल व 4000/- रूपये एवं अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद ।

दिनांक 07.05.2025 की रात्रि में थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल सवार दो बदमाश को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया किन्तु नही रूके तथा माधौपुरा कट से कच्चे रास्ते पर मोटर साईकिल को मोड़कर भागने जिनका पुलिस द्वारा पीछा किया तथा मोटर साईकिल सवार बदमाश आर्मीग्राउण्ड में स्थित पीपल के पेंड़ के पास अनियन्त्रित होकर गिर गये । जिनकों पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसर्मपण हेतु कहा गया तो पुलिस पार्टी को आता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया । जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से अभियुक्तों पर फायरिंग की गयी जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया तथा घायल अभियुक्त **अमन उर्फ सुमित बाल्मिकी पुत्र सुभाष निवासी बाल्मिकी मौहल्ला अम्बेडकर नगर विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद** को मौके पर ही मोटर साईकिल , व छीने गये मोबाईल एवं अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त **अमन उर्फ सुमित** को जिला एमएमजी गाजियाबाद होस्पिटल में भर्ती कराया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मैं तथा मेरा साथी अभय उर्फ पोपई हम एनसीआर क्षेत्र में बाजार एवं भीड़भाड़ वाली जगह से मोटर साईकिल चोरी करके उससे राह चलते व्यक्तियों से उनके पर्स एनं चैन , मोबाईल आदि सामान छीन कर भाग जाते है । तथा जो भी रूपये सामान आदि मिलता है उसे हम दोनो आपस में बांट लेते है। आज भी हम दोनों ने दोपहर के समय आर्मीग्राउण्ड से एक व्यक्ति से मोबाईल छीना तथा पिछले महीने भी हम दोनो कविनगर क्षेत्र से ई रिक्शा से उतर रही महिला के गले से उसकी चैन छीनी थी तथआ जो मोटर साईकिल मुझसे बरामद हुई है वह हमने लोनी बार्डर क्षेत्र से चोरी की थी । आज भी हम दोनो किसी घटना कारित करने की फिराक में घूम रहे थे । कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया ।

नाम पता अभियुक्तः -

1. अमन उर्फ सुमित बाल्मिकी पुत्र सुभाष निवासी बाल्मिकी मौहल्ला अम्बेडकर नगर विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल DL14SS 5717 स्पलेण्डर प्लस रंग काला चोरी की ।

01 अवैध तमंचा 315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस , 01 खोखा कारतूस 315 बोर (मुठभेड़ में बरामद)

01 मोबाईल ब्लैक रंग ओप्पो कम्पनी का ।

4000/- रूपये नगद बरामद

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त **अमन उर्फ सुमित** उपरोक्त पर - 02 अभियोग लूट/चोरी/आर्मस एक्ट से सम्बन्धित तथा 01 अभियोग आरपीएफ गाजियाबाद से सम्बन्धित , 03 अभियोग लूट/चोरी/आर्मस एक्ट से सम्बन्धित , कुल 06 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-
थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना लोनी पुलिस द्वारा लूट/गैंगस्टर/चोरी की घटना कारित करने वाला शातिर अपराधी गोली लगने से घायल/गिरफ्तार। कब्जे से 01 अवैध शस्त्र एवं चोरी की बाइक बरामद।

आज दिनांक 07.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान गांव चिरौड़ी की तरफ जाने वाले मार्ग पर गांव संकलपुरा के सामने रजवाहे के पुल से गांव सिकरानी की तरफ अपराधी एवं थाना लोनी पुलिस में हुई मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा /छिनैती करने वाला पेशेवर चोर/गैंगस्टर अपराधी पुलिस मुठभेड़ के दौरान बायें पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में घायल / गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के करीब एक दर्जन आपराधिक अभियोग दर्ज हैं ।

बरामदगी का विवरण
1-एक मोटरसाईकिल स्पलेण्डर रंग काला चोरी की बरामद,
2- 01 तमंचा 315 बोर
3- 02 कारतूस- (जिन्दा / खोखा)

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -
जुल्फिकार पुत्र गुलाम निवासी बीच वाली मस्जिद के पास ग्राम चिरौडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -
1. 142/2019 धारा 380 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
2. 146/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
3. 147/2019 धारा 307 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
4. 148/2019 धारा 25/27 आर्म एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
5. 149/2019 धारा 25 आर्म एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
6. 151/2019 धारा 414/420 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
7. 264/2019 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
8. 165/2019 धारा 379/411 भादवि थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद
9. 123/2024 धारा34/380/411/458 भादवि थाना खरखौदा जनपद मेरठ
10. 176/2024 धारा 307/34 भादवि व 3/25 आर्म एक्ट थाना हापुड देहात जनपद हापुड
11. 379/2024 धारा 380/457 भादवि थाना हापुड नगर जनपद हापुड ।
12.117/25 धारा 309(6)BNS थाना परीक्षितगढ़ मेरठ ।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम
थाना लोनी पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार ।

दिनांक 03.05.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को बहला फुसला कर भगा ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद कर पीडिता के धारा 180/183 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान व मेडीकल परीक्षण कराया गया। पीडिता के बयानों व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1)/61(2)बीएनएस व 5एल/6 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त मौहम्मद अहमद पुत्र मौहम्मद हनीफ व उसकी पत्नी सकीना के नाम प्रकाश में आये।

आज दिनांक 08.05.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौहम्मद अहमद पुत्र मौहम्मद हनीफ निवासी कुआ डाडा थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी हाल निवासी ग्रामीण बैंक भगोली थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी, उम्र करीब 54 वर्ष व अभियुक्ता सकीना पत्नी मौहम्मद अहमद निवासी कुआ डाडा थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी हाल निवासी ग्रामीण बैंक भगोली थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी, उम्र करीब 23 वर्ष को ग्राम पट्टी चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं वादी की धागे की फैक्ट्री में काम करता था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहती थी उसी दौरान हमारा वादी से पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया था जिसका बदला लेने के लिए एक दिन मैं अपनी पत्नी की सहायता से वादी की लडकी को बहला फुसलाकर ले गया था तथा मौका पाकर मैंने उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता-

1.मौहम्मद अहमद पुत्र मौहम्मद हनीफ निवासी कुआ डाडा थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी हाल निवासी ग्रामीण बैंक भगोली थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी, उम्र करीब 54 वर्ष।

2. सकीना पत्नी मौहम्मद अहमद निवासी कुआ डाडा थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी हाल निवासी ग्रामीण बैंक भगोली थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी, उम्र करीब 23 वर्ष। **आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त व अभियुक्ता के विरूद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा लूट/छिनैती/चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी , 3500/- रूपये एवं अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद।

आज दिनांक 08.05.2025 को थाना विजयनगर पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कल दिनांक 07.05.2025 को पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाला बदमाश सजवान नगर कट के पास स्कूटी पर खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस पार्टी सजवान नगर कट पर पहुंची तोर स्कूटी सवार बदमाश पुलिस को देखकर सजवान नगर से जलनिगम गेस्ट हाउस सर्विस रोड़ पर स्कूटी को तेजी से लेकर भागने लगा जिसका पीछा पुलिस द्वारा किया तो स्कूटी सवार बदमाश ने जलनिगम गेस्ट हाउस से पहले कच्चे रास्ते पर स्कूटी को मोड़ दिया जिससे स्कूटी अनियन्त्रित होकर गिर गयी। स्कूटी सावर बदमाश को पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसर्मपण हेतु कहा गया तो पुलिस पार्टी को आता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया। जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से अभियुक्त पर फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त घायल हो गया तथा घायल अभियुक्त **अभय पोपई पुत्र देवेन्द्र निवासी गली नं0 03 अम्बेडकर नगर विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद** को मौके पर ही स्कूटी एवं अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त **अभय पोपई** को जिला एमएमजी गाजियाबाद होस्पिटल में भर्ती कराया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मैं तथा मेरा साथी सुमित उर्फ अमन हम एनसीआर क्षेत्र में बाजार एवं भीड़भाड़ वाली जगह से मोटर साईकिल, स्कूटी को चोरी करके उससे राह चलते व्यक्तियों से उनके पर्स एनं चैन , मोबाईल आदि सामान छीन कर भाग

जाते है। तथा जो भी रूपये सामान आदि मिलता है उसे हम दोनो आपस में बांट लेते है। कल रात मैं तथा सुमित किसी घटना को अंजाम देने के लिये घूम रहे थे। लेकिन पुलिस द्वारा मेरे साथी को पकड़ लिया था तथा मैं अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गया था। मैं आज अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये तथा कुछ रूपये के इंतजाम में यह स्कूटी बेचने की फिराक में घूम रहा था। कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता अभियुक्तः -

अभय पोपई पुत्र देवेन्द्र निवासी गली नं0 03 अम्बेडकर नगर विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त 01 स्कूट UP14DQ 3443 एक्टिवा रंग ग्रे चोरी की।

01 अवैध तमंचा 315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस , 01 खोखा कारतूस 315 बोर (मुठभेड़ में बरामद)

3500/- रूपये नगद बरामद

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त **अभय उर्फ पोपई** उपरोक्त पर - 03 अभियोग लूट/चोरी/छिनैती से सम्बन्धित, 01 अभियोग पुलिस मुठभेड़ से सम्बन्धित , **कुल 04 अभियोग** कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र दिखाते हुए वीडियो बनाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.05.2025 को सोशल मीडिया पर ट्वीट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। जिसमें दो लड़कों के द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र दिखाते हुए वीडियो वायरल हो रहा था। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा वीडियो की जाँच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि वीडियो में प्रदर्शित 02 अभियुक्त जिनकी पहचान अयाज पुत्र अकरम निवासी प्रथम तल संगम आपार्टमेण्ट एक्सटेंशन -2 डी0एल0एफ0 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद हाल निवास डा0 शोहेब का किराये का मकान मोहम्मदी मस्जिद के पास पसौंडा थाना टीलामोड गाजियाबाद व समीर पुत्र शौकीन निवासी भूमिया मन्दिर के पास पसौंडा थाना टीलामोड गाजियाबाद के रुप में हुई। जिस पर तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों अभियुक्त अकरम व समीर उपरोक्त के विरुद्ध धारा 29/30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त क्रम आज दिनांक 08.05.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त समीर पुत्र शौकीन निवासी भूमिया मोहल्ला नियर मौहम्मदी मस्जिद पसौन्डा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को भूमिया मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त समीर पुत्र शौकीन उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त समीर पुत्र शौकीन उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त दोनों अभियुक्त अयाज पुत्र अकरम व समीर पुत्र शौकीन के नाम पर कोई वैध शस्त्र लाइसेन्स नही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

समीर पुत्र शौकीन निवासी भूमिया मोहल्ला नियर मौहम्मदी मस्जिद पसौन्डा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त समीर पुत्र शौकीन उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 28,664 रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 08.05.2025 को साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक रोहन पुत्र शत्रुधन पाल निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि **28,664** रूपये को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से रोहन पुत्र शत्रुधन पाल निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के साथ 28,664 रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 08.05.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी साइबर सेल टीम।

थाना मसूरी मे आप्रेशन क्लीन के दौरान 36 माल –मुकदमाती/ सीज शुदा वाहनो का निस्तारण (नीलामी

आज दिनाँक- 08.05.2025 को आदेश माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डी0) कोर्ट संख्या 01 गाजियाबाद महोदय के आदेश अनुसार दिनांकित 11.02.25/08.04.25 के आदेशनुसार नियमानुसार पालन कर वर्ष-2023 के 36 माल मुकदमाती/ सीज शुदा वाहन दो पहिया – 32 चार पहिया-04 वाहन कुल 36 वाहनो का निस्तारण श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी /सम्भागीय परिवहन अधिकारी/ प्रभारी निरीक्षक मसूरी / मालखाना इंचार्ज की मौजूदगी में वाहनों की लाट संख्या एक मे 39 बोली दाताओं ने बढा-चढा करके बोलीदाता लाट संख्या 01 मे 02 लाख 13 हजार 800 रू0 से बढाकर सर्वाधिक बोली दाता रणजीत पुत्र ब्रहमस्वरूप निवासी मथुरा पुर थाना मुरादनगर ने (270000/-रू0) धनराशि दो लाख सत्तर हजार रू0 में सम्पन्न करायी गयी है। जिसको राजकोष मे जमा किया जायेगा।